116

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 3810–एक/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–10–2012– पारित व्दारा – अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा -- प्रकरण क्रमांक 1001/2010–11 अपील

श्रीमती सुक्खी पत्नि स्व. रामसिरोमणि त्रिपाठी
ग्राम सभापुर तहसील विरसिंगपुर
जिला सतना, मध्य प्रदेश ---आवेदिका

विरूद्ध

1– इन्द्रप्रसाद त्रिपाठी पुत्र रामभजन त्रिपाठी
2– पुष्पेन्द्र कुमार त्रिपाठी पुत्र रामजी त्रिपाठी
निवासीगण ग्राम झखौरा तहसील मझगवॉ
जिला सतना मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री प्रदीप श्रीवास्तव)
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 9 - 3 -2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 1001/10–11 अपील में पारित आदेश दिनांक 23–10–2012 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि स्वर्गीय रामशिरोमणि त्रिपाठी के नाम मौजा झखैरा में कुल किता 9 कुल रकबा 2.35 एकड़ भूमि तथा मौजा सेलारा में कुल किता 2 कुल रकबा 1.23 एकड़ भूमि, मौजा लेदरा में कुल किता 4 कुल रकबा 1.49 एकड़ एंव मौजा पहन्दी में कुल किता 8 भूमि (आगे इन भूमियों को वादग्रस्त

भूमि सम्बोधित किया गया है) थी, जिनकी मृत्यु उपरांत अनावेदकगण ने तहसीलदार मझगवां के न्यायालय में बसीयत के आधार पर नामान्तरण की मांग की, जिस पर आवेदिका ने आपत्ति दर्ज कराते हुये स्वयं् को मृतक खातेदार की पत्नि होने से नामांत्रण की मांग की। तहसीलदार मझगवॉ ने प्रकरण क्रमांक 20 अ-6/2009-10 पॅजीबद्व किया तथा पक्षकारों की सुनवाई कर आदेश दिनांक 13-10-2010 पारित किया एंव वादग्रस्त भूमि पर आवेदिका का पत्नि होने के आधार पर नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्व अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी मझगवॉ के समक्ष अपील प्रस्तुत की । अनुविभागीय अधिकारी मझगवा ने प्रकरण क्रमांक 105/2010-11 अपील में पारित आदेश दिनॉक 28-4-11 से अपील अस्वीकार की। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 1001/10-11 अपील में पारित आदेश दिनांक 23-10-2012 से अपील स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर दिये। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदिका के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि तहसीलदार के समक्ष साक्ष्य के रूप में स्वयं् उत्तरवादी क्रमांक 2 के सगे भाई राजेश त्रिपाठी पुत्र रामजी त्रिपाठी के कथन लिये गये हैं एंव इन्द्रप्रसाद त्रिपाठी के सगे ससुर के कथन लिये गये है। बसीयत के दूसरे साक्षी सालिगराम ने न्यायालय में उपस्थित होकर झूॅठी साक्ष्य देने से इंकार किया है जिसके कारण दूसरे गवाही सालिगराम के कथन नहीं लिये गये। उत्तरवादीगण रामसिरोमन के सजरे में आवेदिका का नाम न लिखकर स्वर्गीय सिरोमन का कोई वारिस न होना गलत बताया गया है एंव लावल्द मृतक होने का गलत सजरा पेश किया है। आवेदिका द्वारा ग्राम पंचायत के सरपंच का प्रमाणित सजरा पेश किया गया है। इन सभी तथ्यों के आधार पर बसीयत को संदेहास्पद मानकर तहसीलदार ने स्वर्गीय रामशिरोमणि त्रिपाठी की पत्नि आवेदिका का नामान्तरण किया है और अनुविभागीय अधिकारी ने भी आवेदिका को रामशिरोमणि त्रिपाठी की पत्नि होने से अपील निरस्त की है परन्तु अपर आयुक्त ने जानबूझकर वास्तविक तथ्यों को दरकिनार करके आदेश पारित किया है जिसे निरस्त किये जाने की मांग रखी गई।

5/ आवेदिका के अभिभाषक के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 23-10-2012, अनुविभागीय अधिकारी मझगवा के आदेश दिनॉक 28-4-11, तहसीलदार मझगवॉ के आदेश दिनांक 13-10-2010 का तुलनात्मक अध्ययन करने एंव तहसीलदार मझगवॉ के प्रकरण कमांक 20 अ-6/ 2009-10 में आये तथ्यों के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि मृतक खातेदार स्वर्गीय रामशिरोमणि त्रिपाठी की आवेदिका पत्नि है जबकि तहसीलदार मझगवॉ के समक्ष अनावेदकगण व्दारा संहिता की धारा 109, 110 के अंतर्गत प्रस्तुत नामान्तरण के दावे में मृतक रामशिरोमणि त्रिपाठी को बेओलाद फोत होना बताते हुये केवल मृतक रामशिरोमणि को अनावेदक अंकित करते हुये दावा लगाया है। विचार योग्य है कि क्या किसी मृतक व्यक्ति के विरूद्व वाद लाया जा सकता है और ऐसा वाद पोषणीय है ? मृतक व्यक्ति के विरूद्व प्रस्तुत दावा - ऐसा दावा ग्राह्य योग्य एंव सुनवाई-योग्य नहीं है।

6/ तहसीलदार मझगवां के आदेश दिनांक 13-10-10 के अवलोकन से पाया गया कि उनका यह आदेश 16 पृष्ठ का है जो पूर्ण विवेचना करने के उपरांत पारित किया गया है। तहसीलदार मझगवॉ ने आदेश दिनांक 13-10-10 के पृष्ठ 11 एंव 12 में अनावेदकों व्दारा प्रस्तुत बसीयत के सम्बन्ध में निष्कर्ष दिया है कि :-

" कथित बसीयतनामा में सालिकराम जो ग्राम झखौरा का निवासी है स्वयं न्यायालय में बसीयत के पक्ष में झूॅठ बोलने से इंकार कर दिया तथा बसीयत के साक्ष्य के रूप में न्यायालय में अपनी गवाही देने के लिये उपस्थित नहीं हुआ। माननीय न्यायालय व्दारा जरिए सम्मन साक्ष्य देने हेतु आहुत किया गया फिर भी वह न्यायालय के समक्ष गवाही देने हेतु उपस्थित नहीं हुआ। इसका यह पुख्ता प्रमाण है कि उक्त बसीयतनामा फर्जी व मनगढन्त है। साक्षी क-1 प्यारेलाल अपनी लड़की के दमाद को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से झूॅठी गवाही दी है जो ग्राह्य योग्य नहीं है। नोटरी व्दारा कथित बसीयतनामा नोटरी रजिस्टर कमांक में काफी काटपीट है । इस कारण न्यायालय में रजिस्टर की छायाप्रति लगाने से साफ इंकार कर दिया। प्रतिपरीक्षण के दौरान उसने स्पष्ट बताया है कि वह स्व.सिरोमणि को व्यक्ति रूप से नहीं पहचानते थे। उनके समक्ष रामसिरोमणि स्वतः उपस्थित थे या नहीं यह बात अपने आप में संदेहास्पद है। स्व. रामशिरोमणि पुराने जमाने के काफी पढ़े लिखे थे। कई वार सोसायटी अध्यक्ष तथा ग्राम झखौरा के सरपंच थे, क्षेत्र में काफी प्रतिष्ठा थी। स्वयं उनके पास लोग राय-मशविरा लेने आते थे। विचारणीय बिन्दु यह है कि यदि वह अपनी सम्पत्ति का बसीयत कराते और सतना जाते जो नोटरी से सत्यापित कराने का प्रश्न ही नहीं होता। बसीयतनामा में आवेदक क-1 व 2 के नाम कथित तौर पर लेख है। इनके बड़े भई के एक पुत्र आवेदक क-1 व छोटे भाई का दूसरा पुत्र आवेदक क-2 के अलावा राजेश जो स्व.रामशिरोमणि की मृत्यु के उपरांत दाह संस्कार, कियाकर्म, तेरही- वरखी आदि किया है उसके नाम लेख नहीं है। इससे साफ जाहिर है कि यदि वे बसीयतनामे का लेख कराते तो भाई के एक लड़के राजेश को भी अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाते। "

तहसीलदार मझगवा ने आदेश दिनांक 13-10-2010 के पृष्ठ 15 पर अंतिम निष्कर्ष इस प्रकार दिया है :-

" आवेदकगणों व्दारा अपॅजीकृत बसीयतनामा के माध्यम से प्रस्तुत सजरा खानदान में मृतक की व्याहिता पत्नि को छिपाना , आवेदक क्र–1 के व्दारा बसीयत पश्चात् स्व0 रामशिरोमणि की मृत्यु 3–4 माह वाद होना अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है। अपॅजीकृत दस्तावेज दिनांक 20–2–2008 को निष्पादित हुआ है। आवेदकगणों व्दारा उप रजिस्टार जन्म मृत्यु पंजीयन, जनपद पंचायत मझगवां जि0 सतना व्दारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र अनुक्रमांक 3946773 जावक क्र–1 दि0 19–4–2010 व्दारा जो जारी किया गया है उसमें मृत्यु दिनांक 1–3–2008 अंकित है। निष्पादित बसीयत दिनांक 20–2–2008 से स्व. रामशिरोमणि की मृत्यु 11 दिनों वाद होना पाया जाता है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि आवेदकगणों व्दारा प्रस्तुत अपंजीकृत बसीयत को साक्षियों से प्रमाणित कराने में असफल रहे व इनके व्दारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत सेजरा खानदान में मृत्तक स्व. रामशिरोमणि की पत्नी को छिपाकर कुटरचित दस्तावेज तैयार कर नामान्तरण कराने का प्रयास किया है जो विधि संगत नहीं है"।

तहसीलदार मझगवा ने उक्तानुसार विवेचना कर निष्कर्ष देते हुये मृतक खातेदार रामशिरोमणि त्रिपाठी व्दारा छोड़ी गई वादग्रस्त भूमि पर उनकी विवाहित पत्नि आवेदिका का नामांतरण किया है।

अनुविभागीय अधिकारी मझगवॉ ने आदेश दिनांक 20–4–11 में इस प्रकार निष्कर्ष देते हुये अपील अस्वीकार की है :–

" उभय पक्ष के गवाहों के कथनों से यह प्रमाणित है कि रेस्पान्डेन्ट क्रं–2 / बसीयतकर्ता की आकस्मिक मृत्यु हुई है तथा वह मृत्यु से पहले पूर्णतः स्वस्थ्य एंव हष्ट–पुष्ट था। प्रकरण में अपीलांटगणों की ओर से प्रस्तुत बसीयतनामा रेस्पान्डेन्ट क्र–2 बसीयतकर्ता की मृत्यु के 11 दिन पूर्व दिनांक 20–2–2008 को निष्पादित कराया जाना संदेह से परे नहीं है क्योंकि बिना विशेष परिस्थिति के एक स्वस्थ्य व्यक्ति का आकस्मिक मृत्यु के मात्र 11 दिन पूर्व बसीयत निष्पादित कराना महज संयोग नहीं माना जा सकता है। प्रस्तुत बसीयतनामा किसी विशेष अथवा जठिल परिस्थिति में निष्पादित कराया जाना नहीं पाया जाता। इसलिये ऐसे बसीयतनामा को पॅजीकृत यहां तक कि स्टाम्प पेपर में जैसाकि सामान्य परिस्थिति में किया जाता है , निष्पादित न कराकर साधारण कागज पर निष्पादित कराया गया है जो वैधानिक दस्तावेज न होने के साथ साथ संदेहास्पद भी है।

तहसीलदार मझगवॉ के आदेश दिनांक 13–10–10 में निकाले गये निष्कर्ष एंव अनुविभागीय अधिकारी मझगवॉ ने आदेश दिनांक 20–4–11 में निकाले गये निष्कर्ष एंव उनके व्दारा पारित आदेश (बोलते हुये आदेश) speaking orders हैं जबकि अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने speaking orders के विपरीत जाकर इस प्रकार निष्कर्ष निकाला है :–

" हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में भी बेबा पत्नि को पति की संपत्ति का उत्तराधिकारी तो माना गया है परन्तु उस दशा में जब कि हिन्दू पुरूष की मृत्यु निर्वसीयती हो तब यदि कोई हिन्दू पुरूष पूर्व से अपनी संपत्ति का बसीयत विधिक रूप से करा दिया है और बसीयत के माध्यम से अपनी संपत्ति इच्छा पत्र में अंतिम इच्छा में किसी को दे गया है तो मात्र वेवा पत्नि जो कभी भी पति के जीवनकाल में पति से वास्ता नहीं रखती वेवा होने और कहने के आधार पर पति की संपत्ति की उत्तराधिकारिणी नहीं हो सकती। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम संपत्ति के संबंध में यह इंगित करता है कि यदि कोई हिन्दू निर्वसीयत मर जाता है तब उसकी संपत्ति ससुराल की ओर नहीं

जावेगी। उसकी संपत्ति के विधिक वारिस पत्नि की परित्यक्ता होने की दशा में भतीजों की ही ओर न्यायभित होना चाहिये। ''

अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा का उक्तानुसार निष्कर्ष वास्तविकता के विपरीत एंव हिन्दू उत्तराधिकार विधान को अनुमानित करके दिया गया है क्योंकि उन्होंने अंकित किया है कि (विधिक वारिस पत्नि की परित्यक्ता होने की दशा में भतीजों की ही ओर न्यायभित होना चाहिये) अपर आयुक्त का निष्कर्ष सही नहीं है । मृतक रामशिरोमणि की वादग्रस्त भूमि उसकी ससुराल वालों को नहीं गई है अपितु आवेदिका का मृतक रामशिरोमणि त्रिपाठी से न्यायिक विवाह विच्छेद अथवा विवाह शून्य घोषित नहीं हुआ है जिसके कारण वह मृतक रामशिरोमणि त्रिपाठी की विवाहित पत्नि होने से मृतक की वादग्रस्त संपत्ति उसे ही प्राप्त होगी, क्योंकि विचारण न्यायालय में एंव प्रथम अपीलीय न्यायालय में अनावेदकगण अपॅजीकृत बसीयत को प्रमाणित नहीं करा सके है। यदि अनावेदकगण चाचा (काका) की वादग्रस्त भूमि पर अपॅजीकृत एंव अप्रमाणित बसीयत के आधार पर स्वत्व की चाहना रखते हैं, वह सक्षम न्यायालय से अपॅजीकृत बसीयत प्रमाणित कराने के वाद स्वत्व प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है, जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 1001/10-11 अपील में पारित आदेश दिनांक 23-10-2012 में दूषित आधारों पर निकाले गये निष्कर्ष स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 1001/10-11 अपील में पारित आदेश दिनांक 23-10-2012 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर